

## पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड POWER FINANCE CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम) (आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित) (A Govt. of India Undertaking)

(ISO 9001:2008 Certified)

सं:1:05:138:II:सीएस दिनांक: 12 जून, 2017

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, तल - 25, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट,

<u> मुंबई - 400001</u>

महोदय/महोदया,

<u> मुंबई - 400051</u>

सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54ईसी के स्पष्टीकरण के खंड (बीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं.47/2017/ फा.सं. 370142/18/2017-टीपीएल दिनांक 8 जून, 2017 द्वारा अधिसूचित किया है कि कोई भी बॉण्ड जो तीन वर्ष के बाद रीडीमेबल हो और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जून, 2017 के 15वें दिन को या बाद में जारी किया गया हो, वह उक्त धारा के लिए 'दीर्घावधि विशिष्ट परिसंपत्ति' के तौर पर होगा।

भारत के राजपत्र, विशेष [भाग II-धारा 3(ii)] में यथा प्रकाशित अधिसूचना इस पत्र के साथ संलग्न है। धन्यवाद,

> भवदीय, कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

> > (मनोहर बलवानी) कंपनी सचिव nb@pf ci ndi a.com

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2017

## **INCOME-TAX**

**S.O. 1818(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (ba) of Explanation to section 54EC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any bond redeemable after three years and issued on or after the 15th day of June, 2017 by the Power Finance Corporation Limited, a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) as 'long-term specified asset' for the purposes of the said section.

[Notification No. 47/2017/ F. No. 370142/18/2017-TPL]

ABHISHEK GAUTAM, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.09 23:10:49 +05'30'